न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 253/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शक्ति सिंह सैकण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **जनक राम पुत्र सुरेश चन्द**
   प्रथम पताः– प्लॉट विद पट्टा न. 8, नियर माताजी मंदिर, ग्राम कांथली, ग्राम पंचायत मोठूका, प.स. व तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर – 332718
   द्वितीय पताः– वार्ड न. 05, पोस्ट दलपतपुरा, नियर माताजी मंदिर, सीकर 332718
2. **आशा पत्नी जनक राम**
   प्रथम पताः– प्लॉट विद पट्टा न. 8, नियर माताजी मंदिर, ग्राम कांथली, ग्राम पंचायत मोठूका, प.स. व तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर – 332718
   द्वितीय पताः– कांथली, पाटन, नियर शिव टेम्पल, सीकर – 332718

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

दिनांकः 09 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **जनक राम पुत्र सुरेश चन्द** व **आशा पत्नी जनक राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सम्पत्ति Plot with patta no 8 at village Kanthli, Gram Panchayat Mothuka, Panchayat samiti and Tehsil Neem ka thana, District Sikar में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 167.499 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में जनकराम का मकान व गली एवं टेकचन्द का मकान, पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा आम रास्ता, उत्तर दिशा में सुवालाल की नाल एवं दक्षिण दिशा में रेशमी देवी का मकान है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **₹5,00,000/– (अक्षरे रूपये पांच लाख) व ₹4,50,000/– (अक्षरे रूपये चार लाख पचास हजार) कुल ₹19,50,000/– (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **14.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **जनक राम पुत्र सुरेश चन्द** व **आशा पत्नी जनक राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति** Plot with patta no 8 at village Kanthli, Gram Panchayat Mothuka, Panchayat samiti and Tehsil Neem ka thana, District Sikar में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 167.499 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में जनकराम का मकान व गली एवं टेकचन्द का मकान, पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा आम रास्ता, उत्तर दिशा में सुवालाल की नाल एवं दक्षिण दिशा में रेशमी देवी का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **09 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर